

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर  
पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 67/2021

- 1 सांवताराम
- 2 बेगाराम पुत्रगण गणपत जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. | मो.नं. 9602045070

अपीलांट्स


बनाम

- 1 रविन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. |
- 2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।
- 3 जुगलाराम पुत्र कजोड़
- 4 सांवरमल पुत्र कजोड़
- 5 फूलचंद पुत्र कजोड़
- 6 भंवरी पत्नी मामराज
- 7 शिवकुमार पुत्र मामराज
- 8 महेश पुत्र मामराज
- 9 मनोज कुमार पुत्र नागरमल
- 10 बरजी देवी पत्नी नागरमल समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. |



रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री डॉ. कुलराज मीना आरएएस राजस्व वाद संख्या 138/2018 उनवानी रविन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर वगै. बाबत रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.03.2021 जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद को प्रार्थना पत्र मानकर डिक्री किया गया है।

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर


अपील संख्या 69/2021

- 1 सांवताराम
- 2 बेगाराम पुत्रगण गणपत जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। मो.नं. 9602045070

अपीलांट्स


बनाम

- 1 रविन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
- 2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।
- 3 जुगलाराम पुत्र कजोड़
- 4 सांवरमल पुत्र कजोड़
- 5 फूलचंद पुत्र कजोड़
- 6 भंवरी पत्नी मामराज
- 7 शिवकुमार पुत्र मामराज
- 8 महेश पुत्र मामराज
- 9 मनोज कुमार पुत्र नागरमल
- 10 बरजी देवी पत्नी नागरमल समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।



रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री डॉ. कुलराज मीना आरएएस राजस्व वाद संख्या 138/2018 उनवानी रविन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर वगै बाबत रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.03.2021 जिसके तहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया काउंटर क्लेम खारिज किया गया है।

  
 प्रमुख अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री रणधीन काजला, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट



-निर्णय-

दिनांक:- 23/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेन्ट 1 ने एक वाद रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 195, 196, 197, 198, 199, वाके ग्राम बउ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर करने का आदेश पारित करते समय ही तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट लिये जाने बाबत अवैध आदेश पारित कर दिया था जिसकी पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा अवैध रिपोर्ट जो कि दिनांक 18.09.2019 को तैयार किया जाना अंकित है। दिनांक 19.11.2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुयी है। जिसे दिनांक 10.03.2021 को पत्रावली की आदेशिका में रिकार्ड पर लिया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक विधि के प्रावधानों को ताक पर रखते हुए दिनांक 10.03.2021 को ही अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किया गया काउन्टर वाद खारिज किये जाने बाबत निर्णय पारित करते

महान्वय अधिकारी एवं  
वदम राजस्य अपील अधिकारी  
सीकर




हुये रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के संबंध में वाद को मनमर्जी से प्रार्थना पत्र मानते हुये इस आशय की निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित पुराने खसरा नम्बर 65/3 रकबा 1.43 है., खसरा नम्बर 196 रकबा 0.10 है. गै.मु. रास्ते का अंकन गलत हो जाने से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुराने खसरा नम्बर 65/2 जिसके नये खसरा नम्बर 197, 198, 199 उसमें नये खसरा नम्बर 199 में रास्ता था जो पूर्व में खसरा नम्बर 65/2 में दर्ज अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है अर्थात पुराने खसरा नम्बर 65/3 व 65/2 की पूर्व की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जावें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 10.03.2021 कतई स्थिर रहने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विधिक प्रक्रिया अनुसार अपीलाधीन वाद में अपीलान्टस की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा व काउंटर दावा के मुताबिक तनकीयात कायम करके उभयपक्षों की साक्ष्य ली जाकर विधि अनुसार वाद पत्र एवं काउंटर क्लेम का निस्तारण किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रक्रियात्मक विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही पारित किये जाने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रथमतः तो विचारण न्यायालय को उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने की अधिकारिता ही हासिल नहीं थी। द्वितीयतः रिपोर्ट तलब करने का आदेश अपीलान्ट को बिना सुने बिना एकतरफा में पारित किया गया है और अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने भी उक्त रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्टस को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तैयार की गई है तथा रिपोर्ट एकपक्षीय है जो भी पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना अपीलान्टस की बहस सुने बिना पारित की गई है जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा आदेशिका दिनांक 10.03.2021 से प्रमाणित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 को

  
 मू.प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर




पारित की गई है जिसके बारे में अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि अनुसार पत्रावली में तनकीयात कायम होकर साक्ष्य वादी होकर साक्ष्य प्रतिवादी होनी थी। अपीलान्टस के वकील श्री नटवरलाल जोशी से अपीलान्ट का दिनांक 25.02.2021 को सम्पर्क हुआ था जिसमें उनके द्वारा अपीलान्टस को यह आश्वासन दिया कि पिछले करीब डेढ साल से प्रकरण में केवल तारीख पेशियां ही पड़ रही है। अभी तनकियात कायम होकर साक्ष्य वादी होनी है। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश होते ही आपको बुला लूंगा। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्टस एवं उनके अधिवक्ता को बिना सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इसके कुछ समय पश्चात पुनः कोरोना महामारी का कारण लॉकडाउन लगा दिया गया। जिसके कारण अपीलान्टस का अपने अधिवक्ता से सम्पर्क हुआ और न ही अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस को इस संबंध में सूचित किया गया। लॉकडाउन अवधि में छूट मिलने पर अपीलान्टस द्वारा दिनांक 06.09.2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और प्रकरण की प्रगति के बारे में पूछ तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके मामले का तो दिनांक 10.03.2021 को ही निर्णय कर दिया गया है तो उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल उसी दिन प्राप्त की तो सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुयी। जानकारी से अन्दर मियाद यथाशीघ्र प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब सद्भाविक है जो क्षमा किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2021 को निरस्त फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोजेन्ट 1 ने एक वाद रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 195, 196, 197, 198, 199, वाके ग्राम बउ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 199 से अतिक्रमण हटाने,

  
 मू.प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सोकर



सीमाज्ञान कराने एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से काउंटर क्लेम वाद से संबंधित होना नहीं मानकर काउंटर क्लेम खारिज किया है एवं अपीलान्ट को इस संदर्भ में पृथक से वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट काउंटर क्लेम के अनुतोष के लिए पृथक से वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। अतः काउंटर क्लेम की अपील खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 195, 196 में अंकित गैर मुमकिन रास्ते के अंकन को हटाकर गत खसरा नम्बर 65/2 के हाल खसरा नम्बर 197, 198, 199 में मौके पर अवस्थित रास्ते के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का अनुतोष चाहा है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पत्रांक 2913/भूअ./2019 दिनांक 18.09.2019 में स्पष्ट अंकित किया है कि पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार नये खसरा नम्बर 199 के पुराने खसरा नम्बर 65/2 में से डोटेड लाइन से रास्ता प्रदर्शित था। वर्तमान में खसरा नम्बर 195 व 199 की सीमा के सहारे-सहारे चालु है। पुराने खसरा नम्बर 65/2 के नये खसरा नम्बर 199 में से ही रास्ता था। भू-प्रबंध के दौरान संवहन से खसरा नम्बर 65/3 के नये खसरा नम्बर में से रास्ता अंकित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर ही वाद वादी डिकी कर रिकार्ड में दुरुस्ती का आदेश पारित किया गया है। इसके खण्डन में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दोनों अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित रहा है। विलम्ब का युक्तिसंगत कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सोकर



हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेन्ट 1 ने एक वाद रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 195, 196, 197, 198, 199, वाके ग्राम बउ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 199 से अतिक्रमण हटाने, सीमाज्ञान कराने एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से काउंटर क्लेम वाद से संबंधित होना नहीं मानकर काउंटर क्लेम खारिज किया है एवं अपीलान्ट को इस संदर्भ में पृथक से वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट काउंटर क्लेम के अनुतोष के लिए पृथक से वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। अतः काउंटर क्लेम की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 195, 196 में अंकित गैर मुमकिन रास्ते के अंकन को हटाकर गत खसरा नम्बर 65/2 के हाल खसरा नम्बर 197, 198, 199 में मौके पर अवस्थित रास्ते के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का अनुतोष चाहा है।

इस संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पत्रांक 2913/भू.अ./2019 दिनांक 18.09.2019 में स्पष्ट अंकित किया है कि पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार नये खसरा नम्बर 199 के पुराने खसरा नम्बर 65/2 में से डोटेड लाइन से रास्ता प्रदर्शित था। वर्तमान में खसरा नम्बर 195 व 199 की सीमा के सहारे-सहारे चालु है। पुराने खसरा नम्बर 65/2 के नये खसरा नम्बर

सू-प्रवन्त अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



199 में से ही रास्ता था। भू-प्रबंध के दौरान संवहन से खसरा नम्बर 65/3 के नये खसरा नम्बर में से रास्ता अंकित कर दिया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर ही वाद वादी डिक्री कर रिकार्ड में दुरुस्ती का आदेश पारित किया गया है। इसके खण्डन में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

दोनों अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित रहा है। विलम्ब का युक्तिसंगत कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )

भू-प्रबंध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर